हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 23 सितम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–54 / 2023.——हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 12)** जो आज दिनांक 23 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 7 का संशोधन।

2023 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम.——इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2. धारा 7 का संशोधन.——हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 7 में "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति" शब्दों के स्थान पर ",यथास्थिति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश" शब्द, और चिन्ह रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की जांच करने

हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। पहले केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ही लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र थे। तथापि, वर्ष 2021 में उक्त पद हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी पात्र बनाया गया है। इसलिए, अधिनियम की धारा 7 संशोधित की जानी अपेक्षित है और उपबंध किया जा रहा है कि किसी न्यायाधीश की लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति की दशा में, वह न्यायाधीश के वेतन और भत्तों आदि के लिए हकदार होगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीखः 2023

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बधी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख :...............................2023.

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) के उपबन्धों के उद्धरण।

धारा :

7. लोकायुक्त का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें.——लोकायुक्त का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की हैं :

परन्तु यदि लोकायुक्त अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्तता पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता है तो, लोकायुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से——

(क) उस पेंशन की रकम को; और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है, तो पेंशन के उस भाग की रकम को घटा दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि लोकायुक्त को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन में तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकर रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 7.

————

Bill No. 12 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2023.

2. Amendment of section 7.—In Section 7 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014, after the words "the Chief Justice of the High Court", the words and sign "or the Judge of the High Court, as the case may be" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015), was enacted to provide for the appointment of Lokayukta for the State of Himachal Pradesh to inquire into the allegations of corruption against certain public functionaries and for the matters connected therewith or incidental thereto. Earlier, only the Chief Justice of the High Court was eligible for appointment as Lokayukta. However, in the year 2021, a Judge of the High Court has also been made eligible for the said post. Therefore, Section 7 of the Act is required to be amended and a provision is being made that in case of appointment of Judge as Lokayukta, he shall be entitled for the salary and allowances etc. of a Judge.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:
The………, 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:

The , 2023

EXTRACT OF THE PROVISION OF THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA ACT, 2014 (ACT NO. 23 OF 2015) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section:

7. Salary, Allowances and other conditions of service of Lokayukta.—The salary, allowances and other conditions of service of the Lokayukta shall be the same as those of the Chief Justice of the High Court:

Provided that if Lokayukta is, at the time of his appointment, in receipt of pension (other than disability pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of service as the Lokayukta, be reduced—

(a) by the amount of that pension; and

(b) if he has, before such appointment, received, in lieu of a portion of pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by amount of that portion of the pension:

Provided further that the salary, allowances and pension payable to and other conditions of service of the Lokayukta shall not be varied to his disadvantage after his appointment.